ब अदालत श्री मोहन लाल महन्त, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहीसल परमाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 02/2024 संस्थापन तिथि : 04–04–2024

श्रीमती सीमा पुत्री राम मोहन, निवासी रंगीलियन स्ट्रीट, मेहली गेट, फगवाड़ा, कपूरथला।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत राजस्व अभिलेख नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

इश्तहार बनाम आम जनता।

यह आवेदन पत्र श्रीमती सीमा पुत्री राम मोहन, निवासी रंगीलियन स्ट्रीट, मेहली गेट, फगवाड़ा, कपूरथला ने इस आशय से गुजारा है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम सीमा पुत्री राम मोहन दर्ज है। जबकि उसने शादी के बाद अपना नाम बदल कर हीमा पत्नी अनिल कुमार कर दिया है। प्रार्थिया ने अपना नाम हीमा पत्नी अनिल कुमार होने बारे अपना हल्फिया ब्यान, विवाह पंजिकरण प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट इत्यादि साक्षया के रूप में प्रस्तुत किये है। आवेदन पत्र बराये छानबीन पटवारी हल्का तीडों को भेजा गया था जो बाद रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। पटवारी द्वारा बाद छानबीन स्पष्ट किया है कि प्रार्थिया का नाम सीमा पुत्री राम मोहन के बजाये सीमा उपनाम हीमा दर्ज किया जाना उचित है।

अतः इस बाबत आम जनता/हितबद्ध व्यक्तियों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम को सीमा उपनाम हीमा पुत्री राम मोहन करने बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह इस नोटिस के छपने के एक माह के अन्दर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद समय किसी भी प्रकार का एतराज काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख में सीमा उपनाम हीमा करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24–04–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील परमाणू,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

———————